*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–04/जल–जीवन–02–12/2026 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर पंचायत, चेनारी क्षेत्रान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत तालाब/पोखर का निर्माण कार्य हेतु अवशेष कुल ₹12.02550 लाख (बारह लाख दो हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर पंचायत, चेनारी में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत 01 तालाब/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल राशि ₹48.57700 (अड़तालिस लाख सनतावन हजार सात सौ रूपये) लाख मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹20.00000 (बीस लाख रूपये) लाख मात्र आवंटित किया गया है।

2. नगर पंचायत, चेनारी का पत्रांक–214 दिनांक–01.04.2026 द्वारा उक्त योजना हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. नगर पंचायत, चेनारी द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ–03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ–05 में अंकित एकरारनामा के राशि के अनुरूप स्तम्भ–07 में अंकित राशि ₹12.02550 लाख (बारह लाख दो हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

राशि लाख में

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	मापीपुस्त की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष आवंटित राशि (6–7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर पंचायत, चेनारी	जल–जीवन–हरियाली अंतर्गत वार्ड नं0–12 में तालाब में छठ घाट का निर्माण कार्य	48.57700	33.11688	32.02550	20.00000	12.02550
		कुल योग	**48.57700**	**33.11688**	32.02550	**20.00000**	**12.02550**

अर्थात् ₹12.02550 लाख (बारह लाख दो हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹12.02550 लाख (बारह लाख दो हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–236,

दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, चेनारी के PL खाता सं०–RTSPLA0102, HOA संख्या–00-8448-00-102-0003-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

5. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹12.02550 लाख (बारह लाख दो हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र की निकासी मांग संख्या–48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष–0102–जल–जीवन–हरियाली, विपत्र कोड–**48-2215011930102,** विषय शीर्ष–0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम–431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।" राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/जल–जीवन–02–12/2026 के पृष्ठ सं०–10/टि० पर दिनांक–15.04.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०12/टि० पर दिनांक–18.04.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/जल–जीवन–02–12/2026 10 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/4/26

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चेनारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 06 एवं 04, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।